



प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवार्य,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक 28 अप्रैल, 2026

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी मोनू पुत्र श्री नरेश, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-25779/प्रो0-3-फार्म-ए/(एम-13.06.2025) दिनांक-25.06.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी मोनू पुत्र श्री नरेश, जो ग्राम किनौनी, थाना-शाहपुर, जनपद-मुजफ्फरनगर का निवासी है। दिनांक 05.12.2005 को पूर्व में चल रहे मुकदमे में गवाही दिये जाने की रंजिश के कारण बन्दी ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राइफल, तमंचे से फायर कर नरेन्द्र व श्रवण नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-730/2006 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 148 में मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-07, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 22.03.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा वर्ष 2005 में हत्या करके भय का माहौल बना दिया गया था, किसी भी घटना से इंकार नहीं किये जाने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी द्वारा पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में और आगे निरुद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी द्वारा दिनांक 27.04.2022 तक 16 वर्ष, 03 माह, 08 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष, 02 माह, 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है एवं बन्दी की आयु 33 वर्ष, 04 माह, 27 दिन है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में दिनांक 05.12.2005 को पूर्व में चल रहे मुकदमे में गवाही दिये जाने की रंजिश के कारण बन्दी ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राइफल, तमंचे से फायर कर नरेन्द्र व श्रवण नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये अपराध की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मोन् पुत्र श्री नरेश को फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गई है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मोन् (बन्दी संख्या-17315) पुत्र श्री नरेश, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर को फार्म-ए/लाइसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार बन्दी के फार्म-ए/लाइसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।
- 2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
- 3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेटजी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में दिनांक 10.09.2024 को पारित आदेशों के सन्दर्भ में।
- 4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ
- 5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
- 6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

दिनांक- 28 अप्रैल, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी मोनू पुत्र श्री नरेश, जो ग्राम किनौनी, थाना-शाहपुर, जनपद-मुजफ्फरनगर का निवासी है। दिनांक 05.12.2005 को पूर्व में चल रहे मुकदमे में गवाही दिये जाने की रंजिश के कारण बन्दी ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राइफल, तमंचे से फायर कर नरेन्द्र व श्रवण नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-730/2006 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 148 में मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-07, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 22.03.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा वर्ष 2005 में हत्या करके भय का माहौल बना दिया गया था, किसी भी घटना से इंकार नहीं किये जाने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी द्वारा पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में और आगे निरुद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी द्वारा दिनांक 27.04.2022 तक 16 वर्ष, 03 माह, 08 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष, 02 माह, 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है एवं बन्दी की आयु 33 वर्ष, 04 माह, 27 दिन है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में दिनांक 05.12.2005 को पूर्व में चल रहे मुकदमे में गवाही दिये जाने की रंजिश के कारण बन्दी ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राइफल, तमंचे से फायर कर नरेन्द्र व श्रवण नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मोनू पुत्र श्री नरेश को फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गई है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

<http://shasanadesh.up.gov.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

<http://shasanadesh.up.gov.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।